न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर, कैम्प मालसर
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 14 / 2024
जीसीएमएस : 2024 / 209

1. दलीप कुमार गोदारा पुत्र श्री लालूराम जाति जाट साकिन रामजीवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.। —:प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —: अप्रार्थी

तारीख रजू:— 22.07.2024

उपस्थितः 1. श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता वादी
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट,

दिनांक : 18.10.2024

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम वाके चक अमरसर बारानी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. नया 72 पुराना 76 पं.नं. 233 / 310 में प्रार्थी के पिता श्री लालूराम के नाम से भू-सेटलमेंट के बन्दोबस्त के समय उक्त भूमि आवंटन हुई थी उसके बाद प्रार्थी एवं उसके भाई भोलाराम के नाम से विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ था। जिसमें मुरब्बा नं. नया 72 पुराना 76 अंकन किया गया था जिसकी भू-प्रबन्धक विभाग फर्द अहकाम क लिए फर्द नोटिस सहित विवरण संलग्न प्रार्थना पत्र है। वाके चक अमरसर बारानी तहसील रायसिहनगर के मु.नं. नया 72 पुराना 76 पं.नं. 233 / 310 में प्रार्थी के नाम से 20 बीघा भूमि व 5 बीघा भूमि प्रार्थी के भाई भोलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, लेकिन भू-प्रबन्ध विभाग के द्वारा जारी किया गया खसरा मिलान में सहबन से मुरब्बा नम्बर नये स्थान पर पुराना व पुराने के स्थान पर नया लिखा गया है, जबकि नया मुरब्बा नं. 72 लिखा जाना था तथा पुराना मुरब्बा नं. 76 लिखा जाना था, जो सहबन एवं तकनीकी भूल के कारण नये मुरब्बा नं. 72 की जगह 76 लिख दिया गया है, तथा पुराने मुरब्बा नं. 76 की जगह 72 लिख दिया गया है, जो तकनीकी भूल के कारण लिखा गया है जिसकी दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। भू सेटलमेंट के समय की फर्द अहकाम के लिए पर्चा नोटिस, राजस्थान सरकार जल संसाधन विभाग दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर की रिपोर्ट, वर्तमान जामबन्दी जिसमें नया मुरब्बा नं. 72 अंकन है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2002 सन् 1945-46 की जमाबंदी है जिसमें मुरब्बा नं. 76 अंकन है। प्रार्थी को उक्त भूमि वाके चक अमरसर बारानी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. नया 72 पुराना 76 पं.नं. 233 / 310 मे प्रार्थी अपने उक्त रकबा के खसरा मिलान से मुरब्बा नं. 72 की जगह मुरब्बा नं. 76 दर्ज किया जावे तथा 76 की जगह 72 दर्ज किया जावे ताकि प्रार्थी उक्त भूमि पर लोन व अन्य सरकारी सहायता व योजना का लाभ प्राप्त कर सके तथा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में भूमि किस्म परिर्वतन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय ने श्रीमान् तहसीलदार साहब रायसिंहनगर में भिजवा दिया गया, जहां टीआरए ऑफिस रायसिंहनगर में खसरा मिलान में त्रुटि होने के कारण प्रार्थी की उक्त भूमि किस्म परिर्वतन संबंधी फाईल टीआरए ऑफिस में रिपोर्ट के लिए रूक गयी है तथा प्रार्थी का यह प्रकरण लम्बित हो गया है इसलिए उक्त खसरा मिलान भू सेटलमेंट के समय से जो त्रुटि हुई है उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है तथा मूल कागजात भूमि किस्म परिर्वतन फाईल है। प्रार्थी ने खसरा मिलान में त्रुटि के लिए श्रीमान् तहसीलदार साहब से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आये तो ही रिकार्ड में तब्दीली करेंगे। इसलिए प्रार्थी के पास प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में निम्न प्रकार से निर्णय व डिक्री करने की कृपा करें। वाके चक अमरसर बारानी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 72 पुराना 76 पं.नं. 233 / 310 में प्रार्थी के नाम से 20 बीघा व 5 बीघा भूमि प्रार्थी के भाई भोलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:01:32 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

है, लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा जारी किया गया खसरा मिलान में सहवन से नं. नये स्थान पर पुराना व पुराने के स्थान पर नया लिखा गया है जबकि नया मुरब्बा लिखा जाना था तथा पुराना मुरब्बा नं. 76 लिखा जाना था, जो सहवन एवं तकनीकी के कारण नये मुरब्बा नं. 72 की जगह 76 लिख दिया गया है, तथा पुराने मु.नं. 76 की 72 लिख दिया गया है, इसलिए खसरा मिलान में मुरब्बा नं. 72 की जगह 76 तथा मु. 76 की जगह 72 लाल स्याही से अंकन किया जाकर खसरा रजिस्टर को दुरूस्त किये के आदेश दिये जावे।

ना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की क से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक एलआर/4607 दिनांक 30.09.2024 से रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक अमरसर के भू. नक्शा में प.नं. 3/310 मु.नं. 72 दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जामबन्दी खा. स. 61 में प.नं. 233/310 मु.नं. दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर भी मु.नं. 72 में ही प्रार्थी की कब्जा काश्त है। मिसल दोबस्त में भी मु.नं. 72 पं.नं. 233/310 में दलीपकुमार 2/3 व भोलाराम 1/3 हि.पि धूराम जाति जाट सा. देह दर्ज रिकार्ड है। कार्यालय हाजा में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार सरा मिलान व मिसल बंदोबस्त का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि मिसल दोबस्त में पं.नं. 233/310 मु.नं. 72 की अंकित है जो कि सही है। मिलान खसरा पत्रक जिस्टर में प्रथम 10 पृष्ठों पर साबिका की जगह हाल व हाल की जगह गत पेन से लिखा या है। परन्तु मु.नं. 72 पं.नं. 233/310 वाले पृष्ठ व शेष पृष्ठों पर साबिका व हाल यथावत हैं। मिसल बंदोबस्त से लेकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं ई गयी है। प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त के समय भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार खसरा मिलान जिस्टर में पं.नं. 233/310 मु.नं. 72 को लाल स्याही से नया व मु.नं. 76 को पुराना दुरूस्त रने हेतु निवेदन किया गया है जो कि उचित हैं।

हस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट हसीलदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत धिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा टवार हल्का भोमपुरा, तहसील रायसिंहनगर के कार्यालय हाजा में भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा यार खसरा मिलान व मिसल बंदोबस्त के अवलोकन जिसमें पाया गया कि मिसल बंदोबस्त में पं.नं. 233/310 मु.नं. 72 ही अंकित है जो सही है उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का ार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम अमरसर बारानी, पटवार हल्का भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर मिसल बंदोबस्त में पं.नं. 233/310 के खसरा मिलान में मुरब्बा नं. 72 की जगह 76 तथा मु.नं. 76 की जगह 72 लाल स्याही से अंकन किया जाकर खसरा रजिस्टर को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। आदेश की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड.अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:01:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी {(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

AnyScanner